कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर (म.प्र.)

:::::: विविध आदेश ::::::

क्रमांक क्यू 1/विविध/2020 मंदसौर, दिनांक – 07.07.2020

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्धेश्य से, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था लागू करने के प्रयोजन से इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक – 20.03. 2020 की कंडिका 7 के अनुसार सूचित किया गया था कि – "कोई भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे । उनके प्रकरण से संबंधित तारीख उन्हें एसएमएस अथवा उनके अभिभाषक के माध्यम से भेजी जावेगी ।

उक्त निर्देश के उपरांत भी वर्तमान में ज्ञात हुआ है कि कुछ न्यायालयों में पक्षकारों को न्यायालय कक्ष में आने दिया जा रहा है एवं उनसे न्यायालयीन अभिलेख पर हस्ताक्षर भी करवाएं जा रहे है, जो कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है ।

अतः पुनः समस्त न्यायाधीश/अभिभाषक/न्यायालयीन कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार पुनरावृत्ति न की जावे । पक्षकार को यदि सुना जाना आवश्यक हो तो केवल विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुना जावे।

(विजयकुमार पांडेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मंदसौर

क्रमांक/क्यू–2/विविध/2020 **मंदसौर, दिनांक – 07.07.2020**

प्रतिलिपि – (ई–मेल/मैसेज द्वारा)

1– समस्त न्यायाधीश गण एवं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग मंदसौर न्यायिक स्थापना।
2– कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/नगर पालिका अधिकारी मंदसौर
3– अध्यक्ष अभिभाषक संघ मंदसौर/नारायणगढ/सीतामउ/गरोठ/भानपुरा
4– सिस्टम आफिसर/डीएसए/कम्प्युटर लिपिक मंदसौर न्यायिक स्थापना ।
5– नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु ।

(विजयकुमार पांडेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मंदसौर